

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2715532

E-mail: cce.rmsa@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/SIQE/फा-60703/2018/ 5795

दिनांक 03/09/2018

जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि./प्रा.शि.

(संशोधन आदेश)

एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा/एसएसए, समस्त जिला।

विषय:- दिनांक 04.09.2018 को कक्षा 1-5 में अंग्रेजी एवं गणित विषय का अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों हेतु एसआईक्यूई कार्यक्रम के अन्तर्गत सैटेलाइट प्रसारण की तिथि परिवर्तन के क्रम में।
प्रसंग - क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/SIQE/फा-60703/2018/ 3767 दिनांक 20.07.2018

उपर्युक्त विषय एवं प्राशंगिक पत्र के क्रम में लेख है सत्र 2018-19 में आईसीटी तृतीय चरण, चतुर्थ चरण एवं अरनेट (ERNET) के द्वारा संचालित स्मार्ट क्लास रूम युक्त विद्यालयों में उपलब्ध सैटेलाइट प्रसारण सुविधा व डोंगल के माध्यम से कक्षा 1-5 में अंग्रेजी व गणित विषय का अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों हेतु दिनांक 04.09.2018 को आयोज्य एसआईक्यूई वीसी प्रसारण की तिथि में अपरिहार्य कारणों से निम्न परिवर्तन किया जाता है।

Month	VC1 Date	Subject	Month	VC 2 Date	Subject
September	07 Sep. 2018	Eng & Maths	September	10 Sep. 2018	Hindi & EVS

इन प्रसारणों में एसआईक्यूई कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां, यथा - विषयवार गतिविधि आधारित शिक्षण के वीडियोज, अभिलेख संधारण, पेनल चर्चा, शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग, योगात्मक आकलन आदि से सत्रों का प्रसारण किया जायेगा। प्रसारण समय प्रातः 10:30 बजे अपराह्न 3:30 बजे तक रहेगा।
अतः उक्तानुसार समस्त अधिकारीगण पालना सुनिश्चित करावें।

www.rajteachers.com

(डॉ. प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त - द्वितीय

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - 5796 - दिनांक 03/09/18

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समसा, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को देकर निवेदन है कि उक्तानुसार निर्देश जारी करावें।
5. निदेशक, एसआईक्यूईआरटी. उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिला।
8. उपनिदेशक, आईसीटी, समसा, जयपुर।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप./राप्राशिप. को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार निर्धारित तिथि को आयोजित वी.सी.सी में विषयानुसार शिक्षकों को आईसीटी तृतीय एवं चतुर्थ चरण के विद्यालयों में भाग लेने हेतु आदेशित करते हुए शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करवायें।
10. प्रतिनिधि यूनिसेफ, जयपुर।
11. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर को देकर लेख है कि प्रसारण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें
12. एसआईक्यूई नोडल प्रभारी, निदेशालय मा.शि./प्रा.शि. राजस्थान, बीकानेर।
13. संस्था प्रधान/पीईईओ समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय कि उक्तानुसार निर्धारित तिथि को आयोजित वी.सी.सी में विषयानुसार शिक्षकों को आईसीटी तृतीय एवं चतुर्थ चरण के विद्यालयों में भाग लेने हेतु आदेशित करते हुए शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करवाये।
14. कॉम्प्यूकॉम प्रा.लि. एवं आई एण्ड एलएफ, को प्रेषित कर लेख है कि आईसीटी तृतीय एवं चतुर्थ चरण विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण प्रसारण सुनिश्चित करें तथा उक्त दिनांकों को स्टूडियों में गुणवत्तापूर्ण प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कार्यवाही हेतु।
16. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन समसा, जयपुर।
17. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त - द्वितीय